

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2022/7817

लखनऊ: दिनांक: 30/08/2022

: कार्यालय ज्ञापन :-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 30/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मद्दों पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1236-VISHVESHWARYA GROUP OF INSTITUTIONS.

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, विनियमावली-2000, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा

समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु ₹0 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु ₹0- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होंगी।

- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थान का ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आयोजित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर/सीधे प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैनिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के औचक स्थलीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।

✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।



(एफ0आर0 खान)

सचिव

पृ0सं0- प्राधिप/परिषद् सम्बद्धता/2022/7818-8455

दिनांक: 30/08/2022

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, VISHVE SHWARYA GROUP OF INSTITUTIONS



(एफ0आर0 खान)

सचिव



College Code 096

सेवा में,  
निदेशक/प्राचार्य,

VISHVESHWARYA GROUP OF INSTITUTIONS, GAUTAM BUDDH NAGAR

20 Kms From Ghaziabad on Ghaziabad- Bulandshahr G.T. Road Post Dadri NH-91 Greater Noida Phase-II Gautam Buddha Nagar Pin 203207, Gautam Buddha Nagar

विषय: शिक्षक रुज 2021-22 की अस्थायी सम्बद्धता (Fractional Affiliation) के सम्बन्ध में।

सरोवर/बहोदया

वर्धमान विषय के सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि अधिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली, फार्मशी कार्यालय आर डी इण्डिया, नई दिल्ली एवं कार्यालय आर आर डी इण्डिया, नई दिल्ली (यागू) के द्वारा सन् 2021-22 हेतु अपने संस्थान को प्रवेश की सूची प्रस्तुत करने पर विद्यार्थीसंग्रह सम्बद्धता भर्ती/रजिस्ट्रेशन की सम्बद्धता समीक्षा समिति द्वारा विद्यार्थीसंग्रह की गई संस्तुतियों एवं इन संस्तुतियों के रूप में संग्रह के अनुसूचीपरान्त विश्वविद्यालय में प्रसारित करने प्रवेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 23(2) के अर्थात् यह कार्यक्रमविषय से अनुमोदन की प्रकृति में संस्थान को निम्नलिखित विषयों के अनुसार स्वयंसेवक शिक्षक योजना के अन्तर्गत शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु विश्वविद्यालय द्वारा अस्थाई सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

Course Name	Branch Name	Shift	Affiliation Intake Applied for	AICTE Sanctioned Intake	COA/PCI Sanctioned Intake	Affiliation Intake Approved
Bachelor of Pharmacy	Bachelor of Pharmacy	Shift I	80	0	100	80
Bachelor of Technology	Computer Science and Engineering	Shift I	120	120	0	120
Bachelor of Technology	Electrical Engineering	Shift I	30	30	0	30
Bachelor of Technology	Electronics and Communication Engineering	Shift I	60	60	0	60
Bachelor of Technology	Mechanical Engineering	Shift I	120	120	0	120
Master of Technology	Computer Science and Engineering	Shift I	18	18	0	18
Master of Technology	Electrical Engineering	Shift I	9	15	0	9
Master of Technology	Electronics and Communication Engineering	Shift I	12	24	0	12
Master of Technology	Mechanical Engineering	Shift I	18	18	0	18
Masters of Business Administration	MBA	Shift I	60	60	0	51

उपरोक्त अस्थायी सम्बद्धता निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:-

- संस्थान द्वारा अधिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित भूमि, मकान, अवस्थानता सुविधाएँ प्राप्त/संग्रह हेतु निर्धारित एलन-बादन/पाठ्यक्रम, प्रयोगशाला हेतु निर्धारित उपकरण, सैबल्टी अनुसूची, शैक्षणिक निरीक्षण तथा मानकानुसार सैबल्टी की सुवृत्त की 01 फीस के अन्दर पूर्ण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में संस्था को उचित अस्थाई सम्बद्धता सदा निरस्त करणी जायेगी, शिक्षका तन्मूर्त उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धकों का होगा।
- निर्दिष्ट सम्बद्धता द्वारा अवस्थानता सुविधाओं एवं सेवासंग्रहित शिक्षकों के सम्बन्ध में स्वयं-साथ संस्थान को सेवा का अधिकारी विश्वविद्यालय द्वारा किली भी धर्म्य विषय हो सकता है।
- डी.एन./ए.एन./डी.आर./ए.आर. कार्यक्रम संगठित करने वाले संस्थाओं को फार्मशी कार्यालय आर डी इण्डिया/कार्यालय आर आर डी इण्डिया (यागू) के द्वारा प्राथमिक संवादन हेतु निर्धारित मार्गों की सुविधा एवं आवश्यक कार्यालय से सत्र विज्ञापन हेतु अनुमोदन की



प्राप्त किया जाने अनिवार्य होगा। संस्थान द्वारा निर्धारित मानकों की पूर्ण न करने की दशा में एवं अत्याधिक एवं वीही अग्र/जी.ओ.ए. (यथा लागू) के द्वारा अनुपान्य प्रवेश समता से अधिक प्रवेश लेने की दशा में विश्वविद्यालय द्वारा संस्थान को प्रवेश अस्वास्थ्य सम्बद्धता तथा निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धकों का होगा।

4. संस्थान प्राथमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन/डा0एनपी0जे0 अशुभ कालाम प्राथमिक विश्वविद्यालय 2020 द्वारा प्रवेश/शुल्क की सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा नियमानुसार अनुपान्य कीता ही प्रवेशित छात्रों से लेगा। साथ ही, संस्थान शिक्षण-प्रशिक्षण से सम्बन्धित साधन/विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित सूचना एवं समय से उपलब्ध करायेगा। संस्थान द्वारा उपर्युक्त अपेक्षाओं में विफल रहने पर सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
5. संस्था को सम्बद्धता प्राप्त हो जाने के उपरान्त यदि संस्था द्वारा ऑनलाइन आवेदन के समय भरी गयी सूचनाओं/विवरण तथा सम्बद्धता संबंधी शुल्क न जमा कराते तथा सीटों की संख्या में किसी भी प्रकार की त्रुटि साधन/विश्वविद्यालय के संज्ञान में आती है तो संस्था को प्रदत्त अस्वास्थ्य सम्बद्धता तथा निरस्त समझी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान का होगा।
6. विश्वविद्यालय में पब्लिश 2020 प्राथमिक विश्वविद्यालय की पक्षम विनियम 2010 के अर्थात्-6 (सम्बद्धता) में उल्लिखित प्रावधानों का पालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
7. संस्थान 30 सितम्बर, 2021 के पूर्व गिनायक संस्थाओं द्वारा जो अनुपान्य प्रवेश समता के सापेक्ष विधान संस्था के मानकों के अनुरूप अपेक्षित संख्या में निर्धारित अर्थात् वास्तविक एवं निर्देशक/प्राचार्य की नियुक्ति पूर्ण कर लेगा। साथ ही, इन शिक्षकों की सूची तथा चयन से सम्बन्धित सफल अभिलेख विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किया जायेगा एवं इस माध्यम का सौदर्यपूर्ण रूप प्रेषित देना होगा कि उनके द्वारा नियमानुसार अपेक्षित संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति कर ली गई है। विश्वविद्यालय द्वारा इनके स्वच्छ सत्यापन में कोई त्रुटि, त्रुटि रहता/विश्वविद्यालय जारी जाती है तो संस्थान को प्रेषित अस्वास्थ्य सम्बद्धता तथा निरस्त समझी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान का होगा।
8. कतिपय संस्थानों में प्रवेश समता में अतिवृद्धि/गौण पर्यवेक्षण प्रारम्भ करने की स्वीकृति शुरू करते हैं तथा उदाहरण के तौर पर कि ऐसे संस्थानों का विश्वविद्यालय द्वारा गणनानुसार अस्वास्थ्य एवं मानव संसाधन इत्यादि सुविधाओं का स्थलीय निर्देशन काठनिहित उदाहरण होने से पूर्व आवश्यकतानुसार सहायता का सुझाव है तथा निरीक्षण दल की अनुपान्य के कम में ही सत्र 2021-22 में प्रवेश की कार्यवाही सम्पन्न कराये जा सकेगी।
9. सत्र प्रारम्भ होने के उपरान्त यदि संस्था के निर्देशक/प्राचार्य का पत्र रिक्त होता है तो पद रिक्त होने की स्थिति में जोग-मंड के अन्दर दिया पत्र पर 2021 की कार्यवाही पूर्ण कर नियुक्ति कर ली जाये जिसकी सूचना विश्वविद्यालय को अवगत कराये। (विनियम 6.19)
10. सत्र 2021-22 के प्रारम्भ होने के पूर्व संस्थान विश्वविद्यालय को कार्यवाही शिक्षकों के संबंध में दी गयी सूची में उल्लिखित किसी भी शिक्षक की सत्र से होशान बिना विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति के सेवा से निकाला नहीं जा सकेगा।
11. सत्र प्रारम्भ होने से पश्चात् संस्था में कार्यरत शिक्षकों द्वारा संस्था छोड़ने की स्थिति में 15 दिन (पंद्रह दिवस) के अन्दर विश्वविद्यालय को अवगत सूचित करें। (विनियम 6.18)
12. शैक्षिक एवं शिक्षण सहायक स्टाफ के वेतन का आहरण नियमित रूप से किया जायेगा अन्यथा की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। (विनियम 6.25बी.)
13. सत्र एवं उसके उपकरणों की सम्पूर्ण विवरण संस्था के सूचना पत्र वेबसाइट पर प्रदर्शित होने चाहिए एवं इसकी सूचना से भी विश्वविद्यालय को अवगत कराये। (विनियम 6.13)
14. संस्थान की उनल सूचनाएं संस्था के सूचना पत्र वेबसाइट पर प्रदर्शित होने चाहिए एवं इसकी सूचना से भी विश्वविद्यालय को अवगत कराये। (विनियम 6.16)
15. संस्थान द्वारा छात्रों से लिये गये शुल्क की सूचना संस्था द्वारा अपनी वेबसाइट पर तथा संस्था के सूचना पत्र पर अवगत कराया की जायेगी। इसकी सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराये जायेगी अन्यथा संस्था के विरुद्ध यथाचित कार्यवाही किये जाते पर विचार किया जायेगा।
16. अधिष्ठ भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की शायता समाप्त होने या निरस्त किये जाने या प्रत्याहित करने की दशा में सम्बद्धता का पत्र अनुपान्य स्वयं निरस्त ही करेगा।
17. कॉमर्सी तथा आर्किटेक्चर की विधाओं के शिक्षण प्रशिक्षण से सम्बद्ध संस्थाओं को इन विधाओं के समस्त पाठ्यक्रमों हेतु सम्बन्धित आवश्यक निदेशक संख्या कॉमर्सी काउंसिल आर इण्डिया/आर्किटेक्चर काउंसिल आर इण्डिया (यथा लागू) से सत्र 2021-22 हेतु माय्या का अनुमति पत्र, प्रवेश हेतु आहूत की जाने वाली राज्य प्रवेश परीक्षा की काउंसिलिंग के पूर्व विश्वविद्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा। मान्यता आदेश अर्थात् करने की दशा में संस्थाओं को प्रदत्त अस्वास्थ्य सम्बद्धता तथा निरस्त समझी जायेगी। संस्थान मान्यता प्राप्त न होने की दशा में कॉमर्सी तथा आर्किटेक्चर के समस्त पाठ्यक्रमों में संस्थान सत्र 2021-22 में किसी भी तौर पर पाठ्यक्रम विशेष में न को काउंसिलिंग और न ही अपने स्तर से सीटें रिक्त सीट या प्रबन्धनीय सीट पर प्रवेश दे सकेगा। इन परिस्थितियों के लिए संस्थान स्वयं उत्तरदायी होगा।
18. संस्थान का शैक्षिक स्तर के अन्तर्गत किसी भी स्तर अधिक निर्देशन विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकता है और जल अधिक निर्देशन में निर्धारित मानकों के सापेक्ष कठिनों के दृष्टिगत सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।
19. जिन संस्थाओं की अनागतिय एवं विश्वविद्यालय के मानकों के सम्बन्ध में शासन कठया विश्वविद्यालय स्तर से कोई निरीक्षण अवकाश जांच की जाती है अथवा कोई नोटिस जारी की जाती है तो सम्बन्धित संस्थानों की सम्बद्धता, तदकार्यवाही की अधीन होगी।
20. संस्थान द्वारा प्रवेश में उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों)/अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम, 2000, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश मानकों, एवं अनुसूचित जातियों/जनजातियों की सत्रों से नियमानुसार निर्धारित शुल्क

के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का शुल्क न लिए जाने सम्बन्धित राज्य सरकार के शासन/आदेशों के अनुपालन न करने की स्थिति में सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही ली जायेगी।

21. विभिन्न संदर्भों के छात्रों हेतु शुल्क प्रतिपूर्ति की सम्बन्ध में शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर तिनके शासन/आदेशों/आदेशों का अनुपालन शासन द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि संस्थान द्वारा इन आदेशों की अवहेलना की जाती है तो उस स्थिति में उनकी सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही ली जायेगी।
22. संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि संस्थान में स्वयंसेवित/अव्ययनता छात्रों से पूरी शुल्क लिया जाए जो शुल्क निवारण समिति द्वारा निर्धारित किया गया हो। अन्य किसी प्रकार का शुल्क/कोशिका लेने की शिकायत पर विश्वविद्यालय द्वारा संस्था की सम्बद्धता समाप्त करने एवं संस्था को "Black List" करने की कार्यवाही ली जायेगी।
23. AMS (Academic Monitoring System) के अन्तर्गत में विश्वविद्यालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या: 0309/2014/कुस0/2014/4414-23 दिनांक 11.07.2014 के अनुपालन की अनिवार्यता होगी।
24. विश्वविद्यालय द्वारा सैद्धांतिक एवं प्रयोग संबंधी कार्यों हेतु संस्थान के शिक्षकों एवं शिक्षणार्थक कर्मचारियों को दिये गये तापियों का गारान्टी सुनिश्चित करवाना संस्थान का दायित्व होगा। संस्थान को यह दायित्व होगा कि वह शिक्षण अथवा विद्यार्थी कर्मचारियों को तत्काल ही कार्यमुक्त करवा सुनिश्चित करे। अतिरिक्त जानकारी यदि ऐसा सम्भव न हो तो संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
25. विगत शैक्षिक वर्ष में पाठ्यक्रमों में पंजीकृत छात्रों की न्यून संख्या, भागानुसार अवैधता संख्या में न्यून संख्या में उपलब्ध अर्ह शिक्षकों एवं पंजीकृत छात्रों के न्यूनतर परीक्षा परिणाम के कारण अतिरिक्त संस्थानों की स्वीकृत प्रवेश क्षमता का एक निश्चित प्रतिशत का सम्बन्धन एक 2021-22 हेतु स्थगित रखा गया है। अगामी वर्ष 2021-22 हेतु सम्बद्धता जारी करने से पूर्व इनके पूर्वोक्ति-करण का संतोषित करने पर विश्वविद्यालय द्वारा समीक्षा की जायेगी।
26. पाठ्यक्रम विशेष में सम्बद्धता की अन्तिम अवस्था की गारान्टी सम्बद्धता विवरण की तालिका में स्तंभ 5 का 6 (षष्ठांश) को पढ़ा कर प्राप्त की जा सकती है।
27. शासन/विश्वविद्यालय द्वारा कोविड-19 महामारी के दृष्टिकोण जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने की सम्बन्ध में विश्वविद्यालय को सन्धि एवं दिनांक 10 सितम्बर, 2021 प्रस्तुत किया जाएगा।

उत्सुकता शर्तों के अनुपालन में विफलता अथवा संस्था को अंतर्गत विभाग में किसी प्रकार की क्षति या नुकसान होने की स्थिति में संस्था को अस्वीकृत सम्बद्धता स्वतः निरस्त सम्झी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था/प्राचार्य का होगा।

  
(महेश नाथ सिंह)  
कुसतनिधि

सुधालता प्रख्यात व दिनांक: उपरोक्त

प्रतिरिति निम्नलिखित को सूचनाओं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अवर गृह्य सचिव, M/O कुलधिपति/बी राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. सचिव, अतिरिक्त शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. सहायक, अतिरिक्त भारतीय राजनीति विज्ञान परिषद, नई दिल्ली।
4. निर्देशक, अनापि संस्था, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
5. मार्ग सूचित।